

मध्यप्रदेश विधान सभा

शुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 3 अगस्त, 1998 (श्रावण 12, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 20 की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.क्र.1-2-93-आ.प्र-एक, दिनांक 23 अप्रैल, 1998 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का नियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(3) राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में मर्यादित का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल गौर, कमल पटेल, डॉ. गौरी शंकर शेजवार, सदस्य, भोपात में हिंसा एवं लूट की घटित घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बाबूलाल जैन, रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, खरगोन जिले में स्थित सनावद अवंति सूत मिल के महाप्रबंधक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विधायक कार्य

(1) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारतीय भागीदारी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 22 सन् 1998) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 24 सन् 1998) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(3) श्री तनवंत सिंह वीर, स्थानीय शासन मंत्री, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 1998 (क्रमांक 27 सन् 1998) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(4) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 28 सन् 1998) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

- (5) श्री बालेन्दु शुक्ल, उच्च शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय विधि संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 29 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- निर्धारित समय 30 मि. (6) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 19 सन् 1998) पर विचार किया जाय.
- उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 30 मि. (7) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) पर विचार किया जाय.
- उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 30 मि. (8) श्री हजारीलाल रघुवंशी, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 18 सन् 1998) पर विचार किया जाय.
- उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 1 घन्टा (9) श्री जालम सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 20 सन् 1998) पर विचार किया जाय.
- उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
- 30 मि. (10) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 21 सन् 1998) पर विचार किया जाय.
- उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

- 1 घन्टा प्रदेश में हैजा, मलेरिया, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, गलघोटू आदि संक्रामक बीमारियों
30 मि. के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.
(शेष 20 मि.)

भोपाल :
दिनांक : 1 अगस्त, 1998

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा